(108)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

R-3835-PBR/16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

S.K. Srivastava Adv
9/11/16

9/11/16

479
9/11/16

9/11/16

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति- गुर्जर निवासी- ग्राम बरोआ पिछोर ग्वालियर, हाल निवासी- नाकाचन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर, म0प्र0 --आवेदक

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरचरन गुर्जर गुर्जर निवासी- ग्राम बरोआ पिछोर, परगना व जिला ग्वालियर, म0प्र0
2. श्रीमती रागिनी देवी पत्नी शिवकुमार निवासी- आर्य समाज रोड, उज्जैन, म0प्र0
3. म0प्र0 शासन --अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 10/15-16/अ-3 व उनवान महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरचरनसिंह बनाम म0प्र0 शासन में अनावेदक क्रमांक 1 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरचरनसिंह द्वारा

प्रस्तुत बटांकन सहसीमांकन आवेदन पर की जा रहीं कार्यवाही को निरस्त कराने। आदेश दिनांक 10-10-16

माननीय महोदय,

आवेदक कीं ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 375/मिन-01 एवं सर्वे कमांक 376/मिन-2 ग्राम बरौआ पिछोर जिला ग्वालियर में स्थित है, उक्त प्रश्नाधीन कृषि भूमि पर आवेदक विगत 40 वर्ष से अधिक समय से काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है, तथा वर्तमान में उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का ही वास्तविक आधिपत्य है, तथा आवेदक ही उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है।
2. यहकि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि को अनावेदिका कमांक 2 रागिनीदेवी द्वारा अधिकारहीन विक्रयपत्र द्वारा अनावेदक कमांक 1 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरचरनसिंह को विक्रय कर दिये जाने के कारण अनावेदक कमांक 1 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरचरनसिंह द्वारा बिना आवेदक को पक्षकार बनाये उक्त प्रश्नाधीन भूमि के सर्वे कमांक 375/मिन-1 एवं सर्वे कमांक 376 मिन-2 स्थित ग्राम बरौला पिछोर जिला ग्वालियर पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3835–पीबीआर/16 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–2–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण कमांक 10/2015–16/अ–3 दर्ज कर बटवारा/बटांकन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, और उनके द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	